डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. कजोडया पुत्र रामसुखा जाति बैरवा निवासी मण्डैरू तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा वावत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 129/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री महेन्द्र शर्मा एडवोकेट व .... मिनकानिब गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है। कि

अतः दावा खारिज किया जाता है।

निज....................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.09.2019 को जारी की गई।

दस्तखत.......................... 26/9/19

ओहदा.......................... उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 129/18 तारीख रजू:– 24.10.2018

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. कजोडया पुत्र रामसुखा जाति बैरवा निवासी मण्डैरू तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा वावत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–1. महेन्द्र शर्मा एडवोकेट (वादी)

निर्णय दिनांकः– 26.9.2019

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम विशनपुराचारण की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 मे खाता संख्या 155 की आराजी ख0न0 243/0.33, 244/0.49, 245/0.05 कुल किता 3 कुल रकवा 0.87 है0 है। जिसके साबिक ख0न0 209 रकवा 3 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है। उक्त आराजी साबिक ख0न0 209 रकवा 3 बीघा 10 बिस्वा दिनांक 12.6.1963 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी। तत्समय क्रय करते समय क्रेता का नाम हरीलाल पुत्र रामसुखा जाति चमार निवासी मण्डेरू दर्ज करवा दिया था तत्समय प्रार्थी/वादी अव्यस्क था। वादी का घर का बोलता नाम हीरालाल था अतः घरवालो ने हीरालाल दर्ज करवा दिया। अब तक वादी शपथ पत्र प्रेषित कर ऋण व अन्य समस्त कृषि संबधी कार्य सम्पन्न करता रहा। वादी का विधालय प्रवेशानुज्ञासार स्थानांन्तरण प्रमाण पत्र कजोडया हरीजन पुत्र रामसुखा दर्ज है जो कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मण्डैरू द्वारा 1.10.18 को जारी किया है तथा आधार कार्ड संख्या 87967106233 मे वादी का नाम कजोडमल बैरवा दर्ज है। तथा बी.ओ.बी. करीरी की पासबुक मे आवेदक का नाम कजोडया बैरवा दर्ज है तथा राशनकार्ड 007623200690 और मतदाता सूची मे वादी का नाम कजोडया बैरवा ही दर्ज है। वादी ने नाम संशोधन हेतु अब तक जारी समस्त राजकीय कैम्प व अभियानो मे भी बैड नेम हटाने एवं नाम शुद्वी हेतु निवेदन भी किया। परन्तु मेरे निवेदन पर गौर आज दिवस तक नही किया। उपरोक्त नाम की शुद्वि हेतु श्रीमान तहसीलदारजी टौडाभीम को निवेदन किया जरिये रजिस्टर्ड पत्र भी निवेदन किया है।

घटना दिनांक 5.10.2018 की है वादी बाडा योजनाअन्तर्गत प्रमाण पत्र लेने तहसीलदार जी के पास जमाबन्दी की नकल लेकर प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु गया तो तहसीलदारजी टोडाभीम ने प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया और बोले नाम शुद्व करवाये मैने अपने समस्त दस्तावेज प्रेषित कर बताया मेरे दो नाम है परन्तु तहसीलदारजी ने प्रमाण पत्र जारी नही किया इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमायी जाकर ग्राम विशनपुरा स्थित ख0न0 243, 244, 245 मे वादी का नाम हीरालाल चमार के बजाय कजोडया बैरवा किये जाने के आदेश पारित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का होने से तहसीलदार टोडाभीम से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार टोडाभीम की जॉच रिपोर्ट के अनुसार विक्रयपत्र दिनांक 12.6.1963 से हीरालाल पुत्र रामसुखा चमार निवासी मण्डैरू के नाम से आराजी ख0न0 209 रकवा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि क्रय की है। विक्रय पत्र मे हीरालाल नाम अंकित है इसलिये धारा 136 आर.टी.एक्ट के तहत इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण नही होने के कारण दावा खारिज फरमाया जावे।

वादी वकील ने प्रकरण मे सीधे ही बहस करने का कथन किया बहस मे कथन किया कि वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो मे भी वादी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र मे कजोडया बैरवा दर्ज है। शुद्व नाम कजोडया दर्ज कराये जाने के आदेश फरमावे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का एवं तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादपत्र मे अंकित साबिक ख0न0 209 रकवा 3 बीघा 10 बिस्वा स्थित ग्राम मण्डैरू जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.6.1963 से हीरालाल पुत्र रामसुखा जाति चमार निवसी मण्डैरू के नाम से क्रय की गई है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई भूमि मे दर्ज नाम को बदला जाना न्यायोचित नही है।

अतः दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय दिनांक 26.9.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीणा)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली